नपा की बैठक में 37 प्रस्तावों पर लगी मुहर

परिषद की बैठक से भाजपा पार्षदों की अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय

मंडीदीप, 30 सितंबर. औद्योगिक शहर में नगर पालिका परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट सहित कुल 37 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई.

हालांकि, परिषद के कुल 26 पार्षदों में से मात्र 15 की उपस्थिति ने बैठक को एक अलग ही रंग दे दिया. विशेष रूप से भाजपा के वरिष्ठ पार्षदों के अनुपस्थित रहने ने स्थानीय राजनीतिक गलियारों में जोरदार चर्चाओं का विषय बना लिया है. बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका राजेंद्र अग्रवाल ने की, जिसमें नगर विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रशांत जैन ने बताया कि बैठक में 15 पार्षद मौजूद रहे, जबकि 11 पार्षद नदारद रहे. उन्होंने कहा, बैठक सुचारू रूप से चली और सभी प्रस्तावों को बिना किसी विवाद के पारित कर दिया गया. वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट नगर के समग्र विकास पर केंद्रित है, जिसमें सड़क निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, स्वच्छता अभियान और हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

> नपा परिषद की बैठक का एक प्रमुख पहलू पार्षदों की कम उपस्थिति रहा, खासकर भाजपा के वरिष्ठ सदस्यों का अनुपस्थित रहना. परिषद में कुल 26 पार्षद हैं, जिनमें से एक कांग्रेस पार्षद सहित 11 ने बैठक का बहिष्कार किया. स्थानीय राजनीतिक हलकों में यह चर्चा का विषय बना कि भाजपा पार्षदों की अनुपस्थिति किसी आंतरिक असंतोष या रणनीतिक निर्णय का परिणाम हो सकती है.

रूनाहा में मां दुर्गा की मनमोहक झांकी

रूनाहा. रूनाहा बस स्टैंड पर मां दुर्गा की मनमोहक झांकी बनाई गई है. इस झांकी में मां दुर्गा के 9 रूपों को दिखाया गया है, जो उनकी विविध शक्तियों और रूपों को प्रदर्शित करता है. इस दौरान रूनाहा गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, इधर कोलूखेड़ी रोड और पुरानी बस स्टैंड रूनाहा बक्शी जोड़ पर भी मां दुर्गा की झांकी सजाई गई.

एक नजर में

आज स्थानीय अवकाश पर फैसला नहीं

भोपाल. राजधानी भोपाल में 1 अक्टूबर को दुर्गा नवमी पर स्थानीय अवकाश को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है. मंगलवार को पूरे दिन छुट्टी को लेकर सुगबुगाहट वाला माहौल रहा. बताया जाता है कि फाइल मुख्य सचिव कार्यालय भी पहुंची, लेकिन शाम तक छुट्टी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ. ऐसे में अब बुधवार को सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे. बता दें, 27 अगस्त को भोपाल के लिए स्थानीय अवकाश प्रस्तावित था. इस दिन गणेश चतुर्थी के चलते छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन सरकार ने पूरे प्रदेश में स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया था. ऐसे में भोपाल का एक स्थानीय अवकाश बच गया. इसके चलते ही भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्थानीय अवकाश का प्रस्ताव सरकार को भेजा था. जिसे मंगलवार शाम 6 बजे तक मंजूरी नहीं मिली थी.

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

बेगमगंज. कस्बा बम्होरी थानांतर्गत एक गांव में एक नाबालिग पीड़िता को घर में अकेली पाकर उसके फूफा द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया. उक्त मामले में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निर्णय पारित करते हुए न्यायाधीश द्विवेदी ने 35 वर्षीय आरोपी को भादवि की धारा 376 (3) के आरोप सिद्ध पाए जाने पर 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदंड एवं धारा 450 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड एवं धारा 506 भादवि में 06 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हो रुपए अर्थदंड से दंडित करने का दण्डादेश पारित किया.

रामलीला में लंका दहन का किया मंचन

रूनाहा, 30 सितंबर. नवरात्र पर्व के अवसर पर रूनाहा में रामलीला का मंचन किया जा रहा है, इसके आठवें दिन लंका दहन का मंचन किया गया.

यहां रामलीला का आयोजन वर्षों से हो रहा है, इसे देखने रूनाहा के आसपास के गांवों के लोग आते है.

यहां रामलीला का आयोजन रात 8 बजे से रात 1 बजे तक होता है. रामलीला का शुभारंभ आरती के साथ होता है. पहले विदूषक का रोल होता है, इसके पश्चात मनोरंजन के लिए डांसर नृत्य करता है. फिर रामलीला का आयोजन होता है.

8 घाटों पर क्रेन से विसर्जित होंगी बड़ी प्रतिमाएं

छोटी प्रतिमाओं के लिए बनाए कुंड

भोपाल, 30 सितंबर. राजधानी के 8 घाटों पर मां दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित होंगी. छोटी प्रतिमा को घाट पर बने कुंड में विसर्जित किया जाएगा, जबकि बड़ी प्रतिमाएं क्रेन की मदद से विसर्जित होंगी.

तालाबों के घाटों पर लोगों की भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है. प्रतिमा विसर्जन के दौरान करीब 5 हजार अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहेंगे. राजधानी भोपाल में 6 हजार से अधिक छोटी-बड़ी मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा. बुधवार से विसर्जन शुरू हो जाएगा, जो अगले 3 दिन तक चलेगा. इसके चलते मंगलवार को प्रशासनिक, पुलिस और नगर

निगम के अधिकारियों ने भोपाल के सभी घाटों का निरीक्षण किया. खटलापुरा घाट पर एमपी नगर एसडीएम एलके खरे समेत अन्य अधिकारी पहुंचे. खटलापुरा में प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया. सातवीं बटालियन के सामने पाइंट लगाया है.

> यदि अधिक बड़ी प्रतिमाएं हैं तो उसे प्रेमपुरा के लिए रवाना करेंगे. रूट भी डायवर्ट किया जाएगा. राजधानी के खटलापुरा, प्रेमपुरा, बैरागढ़, हथाईखेड़ा, शाहपुरा, आर्च ब्रिज, मालीखेड़ी, सीहोर नाका, अनंतपुरा, ईटखेड़ी और नरोन्हा सांकल में प्रतिमाओं का विसर्जन होगा. छोटी प्रतिमाएं कुंड में विसर्जित की जाएगी. वहीं, बड़ी प्रतिमाओं के लिए प्रत्येक घाट पर जेसीबी और क्रेन रहेगी. घाट के आसपास बैरिकेडिंग की गई है. ताकि लोग पानी में न उतर सके. रोकने के लिए पुलिस भी तैनात रहेगी. प्रत्येक घाट पर गोताखोर पूरे समय मौजूद रहेंगे.

कलेक्टर, एसपी ने लिया दशहरे की तैयारी का जायजा

अधिकारियों को दिए निर्देश- चल समारोह के दौरान यातायात सुचारू रहे

- एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रखने दिए निर्देश
- चल समारोह में निजी सुरक्षा गार्ड भी तैनात रहेंगे

मंडीदीप, 30 सितंबर. मंडीदीप में कलेक्टर और एसपी ने दशहरा एवं दुर्गा विसर्जन की तैयारियों का जायजा लिया. कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी रूट में यातायात एवं व्यवस्थाओं को लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े.

वहीं एसपी पंकज पांडे ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि जहां से चल समारोह निकलेगा, वहां से लेकर दशहरा मैदान तक पुलिस मुस्तैद रहे. वहीं शांति और सौहार्द के साथ इस कार्यक्रम को सम्पन्न कराने के लिए प्राइवेट गार्ड का भी सहयोग लिया जाएगा. वही पुलिस सुरक्षा समिति के सदस्य भी दशहरे में अपनी पूरी भूमिका निभाएगी. एसडीओपी शीला सुराणा ने बताया कि जहां से चल समारोह निकलेगा, वहां से कार्यक्रम स्थल तक कैमरे से निगरानी रखी जाएगी.

> **कृत्रिम कुंड में होगा प्रतिमाओं का विसर्जन**
>
> सीएमओ प्रशांत जैन ने बताया दुर्गा विसर्जन और चल समारोह में इस बार एनजीटी के सख्त आदेश को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम कुंड में ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा. इस बार एनजीटी के आदेश अनुसार कलियासोत घाट में दुर्गा विसर्जन पूर्णत: प्रतिबंधित है. जिसमें सिर्फ और सिर्फ झिरिया घाट में ही विसर्जन किया जाएगा.

कीटनाशक के लिए किसान नहीं होंगे परेशान

सहकारी समिति को मिला लाइसेंस, केंद्र का शुभारंभ

सलामतपुर, 30 सितंबर. अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सलामतपुर की सहकारी संस्था में किसानों को कीटनाशक दवाएं आसानी के साथ कम दामों पर उपलब्ध होंगी, क्योंकि इफको एमसी कॉर्प साइंस द्वारा संस्था को कीटनाशक दवाएं कम दामों पर किसानों को उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस दे दिया गया है.

भारत में उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक और विपणनकर्ता, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) ने कृषि रसायन व्यवसाय की वैश्विक कंपनी, जापान की मित्सुबिशी कारपोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किया है. मंगलवार को सहकारी संस्था में कीटनाशक दवाओं के केंद्र का उदघाटन प्रशासक पूनम बट्टी द्वारा किया गया. इस दौरान अखिलेश नैन सहकारिता अधिकारी, इफको एमसी क्रॉप साइंस से द्विवेदी, ओमप्रकाश मेवाड़ा, सहकारी संस्था सलामतपुर प्रबंधक कुंवर सिंह दांगी, सांची संस्था प्रबंधक नरेश राजपूत, सहकारी संस्था पगनेश्वर प्रबंधक नवल मेहरा और दीवानगंज संस्था प्रबंधक देवेंद्र मीणा कार्यक्रम में मौजूद रहे. संस्था के प्रबंधक दांगी ने बताया कि संस्था अंतर्गत 28 गांवों के लगभग 1400 किसान आते हैं.

नाम परिवर्तन

मैं माधुरी कुजूर पिता- पोनसिएन कुजूर, आशा निकेतन नर्सिंग स्कूल से वर्ष 2019 में GNM Diploma Course पूरी की. 11 सितंबर 2025 को न्यू मार्केट भोपाल में फोटोकॉपी कराते समय GNM 3rd Year की मार्कशीट गुम हो गई है. किसी को मिलने पर इस मो. नं. 8372995975 पर सूचित करें.

रामा दलम ने चलाया लव जिहाद के खिलाफ अभियान

बैरसिया, 30 सितंबर. हिन्दू संगठन रामा दलम द्वारा दुर्गा उत्सव एवं गरबा महोत्सव में पोस्टर, बैनर लगाकर हिन्दू समाज को लव जिहाद से बचाने जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है.

बैरसिया रामा दलम संगठन के प्रमुख एडवोकेट योगेश शर्मा एव दिनेश साहू ने बताया कि उन्होंने दुर्गा उत्सव एवं गरबा महोत्सव में स्लोगन लिखे पोस्टर लगाकर लव जिहाद के खिलाफ हिन्दू समाज में जागरुकता लाने अभियान चलाया है.

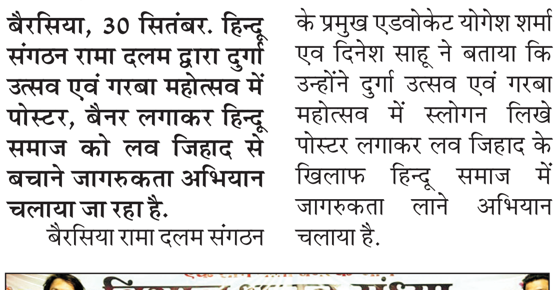

खितवास में भगवती जागरण का आयोजन

बैरसिया, 30 सितंबर. नवरात्र पर्व पर बैरसिया क्षेत्र के ग्राम खितवास में मां दुर्गा उत्सव समिति द्वारा विशाल मां भगवती जागरण का आयोजन किया गया.

इसमें राजस्थान के गायक कलाकारों द्वारा मातारानी के मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई. कलाकारों ने देवनारायण भगवान के भजनों की प्रस्तुति दी. राजस्थान की प्रसिद्ध भजन गायिका माया मोहनी ने अपनी गायकी से माताओं, बहनों और युवाओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया.

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मंडीदीप, जिला रायसेन

दूरभाष एवं फैक्स नंबर- 07480-407022

ई-मेल- cmomandideep@mpurban.gov.in

क्रमांक/3917/न.पा.प./2025 मंडीदीप, दिनांक 30/9/2025

ई-निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत निविदादाताओं से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती हैं. निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है.

क्र.	निविदा क्रमांक	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा की अंतिम तिथि
01	2025_UAD _455413_1	External Electrification Work at Tranching Ground at Guradiya (AS Per mpmkvvcl sor and Specification)	4,80,100/-	4805/-	2,000/-	8 Oct. 2025
02	2025_UAD _455419_1	टेंट (समस्त सहायक सामग्रियों के साथ) लगाना Complete व्यवस्था/ कार्य करना	57.40 लाख	43,050/-	10,000/-	15 अक्टूबर 2025

1. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर ही किया जाएगा, पृथक से समाचार पत्र में नहीं किया जाएगा.

प्रियंका राजेन्द्र अग्रवाल, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मंडीदीप | पुष्पा प्रेमशंकर साहू, उपाध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मंडीदीप | डॉ. प्रशान्त जैन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मंडीदीप

नागर विमानन मंत्रालय
भारत सरकार
राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के सदस्य पद हेतु विज्ञापन।

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, ऐरा, हवाईअड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य प्रभारों को विनियमित करने वाले प्राधिकरण, में सदस्य के पद के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. आवेदन के निर्धारित फॉर्मेट (प्रारूप) के साथ-साथ आयु-सीमा, अनिवार्य योग्यता और अनुभव आदि का ब्यौरा नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट www.civilaviation.gov.in पर उपलब्ध है। यह ब्यौरा ऐरा की वेबसाइट [www.aera.gov.in] से भी प्राप्त किया जा सकता है।

3. पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति निर्धारित फॉर्मेट में अपने आवेदन दिनांक 28.10.2025 तक भेज दें।

संयुक्त सचिव

CBC03112/12/0009/2526

M.P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.

(A Govt. of M.P. Undertaking)
Office of the Dy. General Manager (IGC) Division Mandideep
Phone No. : 07480232269, Email : eeommandideep@gmail.com

DGM/IGC/DN/Pur/Enq./25-26/1233 Mandideep, Dated 29.09.2025

OFFER FOR HIRING VEHICLE

MPMKVVCL hereby invited offer/rate for hiring the below mentioned type of vehicle in the following locations.

Name of Unit/Office	Particulars	Due Date of Submission of Offer	Opening Date & Time
Dy. General Manager (IGC) Division MPMKVVCL Mandideep	Type G3 – Light Commercial Vehicle (Non-AC) (3 to 5 metric ton), Truck or equivalent etc.	09.10.2025 Up to 3:00 PM	09.10.2025 at 3:30 PM

Other details, terms and conditions are available on company **website : https://portal.mpcz.in** or the undersigned office.

M.P. Madhyam/122366/2025 **DGM (IGC)**

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

SMFG Grihashakti Nayi Asha. Naya Vishwas.

कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051
पंजीकृत कार्यालय: कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे एसएमएचएफसी कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। अधोहस्ताक्षरी का यह मानना है कि उधारकर्ता/उधारकर्ता मांग सूचना/सूचनाओं की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार सूचना की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग सूचना/सूचनाओं की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत है:

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता संपत्ति धारकों का नाम, जैसा भी मामला हो	सुरक्षित परिसंपत्तियों / बंधक संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि 13 (2) और टोटल O/s
1	**लैन: 604439211461265 1. रूपाली बघेल 2. विक्रम पता : मकान नंबर 05 ग्राम सेमरा कलां भोपाल 46201**	खसरा नंबर 298/1/1/1/2 का हिस्सा, प्लॉट नंबर 246, जो इमलिया गाँव, पी.एच. नंबर 29, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व-सड़क, पश्चिम-प्लॉट नंबर 243, उत्तर-प्लॉट नंबर 247, दक्षिण-प्लॉट नंबर 245, क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट।	15-09-2025 रू. 5,23,211.67 (पाँच लाख तेईस हजार दो सौ ग्यारह और सड़सठ पैसे मात्र) 10-09-2025 तक एनपीए तिथि: 05-09-2025

उधारकताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि **एसएमएचएफसी** एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकताओं द्वारा बंधक रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो **एसएमएचएफसी** सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके उन्हें स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। **एसएमएचएफसी** को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के बाद, **एसएमएचएफसी** को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य **एसएमएचएफसी** को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत **एसएमएचएफसी** को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें उपलब्ध समय के संबंध में, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को **एसएमएचएफसी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या उनसे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। डिमांड नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

स्थान : भोपाल, मध्य प्रदेश
दिनांक : 15.09.2025

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14